

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

5-4-22

पत्रावली आज पेश हुई। वादी
वकील अनुपस्थित। न्यायालय
समय में बार-बार आज्ञा
लागवाई गयी। फिर भी न ले
वादी वकील न ही वादी स्वयं
उपस्थित हुये। अतः पत्रावली
आदेश 9 नियम 3 सिविल
प्रक्रिया संहिता (अदम पेशी
अदम एजरी) के तहत शकरीय
की जाती है। पत्रावली फैसला
शुभार होकर बाद तकमील
दाराखिल दफतर है।

up.

